20. Rayakwar
21. Saiz
22. Sahai
23. Taga, Tagah
24. Momin
25. Thathere.

Statement

Recommendations of the Jain Commission for other Backward Classes set up by the Govt. of N.C.T. of Delhi

The Commission recommends that the castes/communities mentioned at Annexure 'VII' may be declared as 'Other Backward Classes'.

It has not been possible to determine exactly the population of OBCs both Hindus and non-Hindus. However, the report of the socio-economic survey states that their population was about 44.48 lakhs, i.e. about more than 48%. The Commission, therefore, recommends that 27% reservation should be provided to the members of OBCs included in the list (placed at Annexure 'VII') excluding those in Creamy Layer.

OBCs Identified by the Commission for OBCs for the N. C. T. of Delhi	
1.	Abbasi, Bhishti, Sakka
2.	Agri, Kharwal, Kharol, Khariwal
3.	Ahir, Yadav, Qwala
4.	Ayain, Rayee, Kunjra
5.	Badhaa, Barhai, Khati, Tarkhan
6.	Jangra-Brahmin, Vishakarma Panchal, Pathul-Brahmin Dhooman, Ramgarhia-Sikh
6a.	Badi
7.	Bairagi
8.	Bairwa, Barwa
9.	Barsi, Bari, Tamboli
10.	Banria/Bawaria (excluding those in SCs)
11.	Bazigar, Nat, Kalandar (excluding those in SCs)
12.	Bharbhoja, Kanu
13.	Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya
14.	Bhatiyara
15.	Chak
16.	Chippi, Tonk, Darzi, Idrishi (Momin) Chimoa
17.	Dakaut, Brado
18.	Dhanwar, Jhinwar, Nishad, Kewat/ Mallah (excluding those in SCs) Kashyap (non-Brahmin), Kahar
19.	Dhobi (excluding those in SCs)
20.	Dhunia, Pinjara, Kunddora-Karand, Dhunnewala, Naddas, Manfoori.

OBCs Identified by the Commission for OBCs for the N. C. T. of Delhi.	
21.	Fakir
22.	Gadaria, Pal Baghel, Dhengar, Nikhar, Kurba, Gadhori, Gaddi, Garri
23.	Ghasiara, Ghosi
24.	Gujar, Gurjar
25.	Jogi, Goswami, Nath, Yogi, Jugi, Gosain
26.	Julaha, Ansari (excluding those in SCs)
27.	Kachhi, Keori, Murai, Murac, Maurya, Kushwaha, Shakya, Mahato
28.	Kasai, Qassab, Quraishi
29.	Kasera, Tamerra, Thathiar
30.	Khatgune
31.	Khatik (excluding those SCs)
32.	Kumhar, Prajapati
33.	Kurmi
34.	Khakhera, Manihar
35.	Lodhi, Lodha, Lodh, Maha-Lodh.
36.	Luhar, Saif, Bhubhalia
37.	Machi, Machhera
38.	Mali, Saini, Southia, Sagarwanshi-Mali, Nayak
39.	Memar, Raj
40.	Mina/Meena
41.	Merasi, Mirasi
42.	Mochi (excluding those in SCs)
43.	Nai, Hajjan, Nai (Sabita) Sain, Salman
44.	Nalmand
45.	Naqqal
46.	Pakhiwara
47.	Patwa
48.	Pathar, Chera, Sangtarash
49.	Rangrez
50.	Raya-Tanwar
51.	Sunar
52.	Teli
53.	Rai-Sikh

*Note :

These castes/communities/classes of citizens include both Hindus and Muslims, of course excluding those in SCs.

Inclusion of some Tribal of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes

2964. SHRI RAM RATAN RAM : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether any proposal regarding the inclusion of some tribal people into Scheduled Tribe in Sonbhadra and Mirzapur districts of Uttar Pradesh has been

received from Uttar Pradesh Government; and

(b) if so, what action is being taken by the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The State Government of Uttar Pradesh has recommended inclusion of certain communities in Scheduled Tribe list. This proposal alongwith similar other cases has been referred to an Advisory Committee for examination. The report of the Committee is awaited.

पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण

2956. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई तारीख निर्धारित की गई है ; और

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा पूरा किए गए वर्गीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय की सीमा

2966. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैट्रिक से आगे पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए उनके अभिभावकों की मासिक आय की सीमा कितनी निर्धारित की गई है और इसे किस वर्ष निर्धारित किया गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति को देखते हुए अभिभावकों की मासिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय किया है; यदि हां, तो यह आय सीमा कितनी निर्धारित की जा रही है और इसे कब से लागू किया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, 1-7-1989 से लागू पात्रता के लिए विद्यमान आय सीमा नीचे दी गई हैं :-

(1) उन छात्रों के मामले में जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय 1500 रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो	पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस
(2) उन छात्रों के मामले में जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय 1500 रुपए प्रतिमाह से अधिक किन्तु 2000 रुपए से अधिक न हो और जो निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं :-	
(1) समूह "क" (चिकित्सा/अभियान्त्रिकी की उच्च तकनीकी/व्यावहारिक अध्ययन+पाठ्यक्रम)	
(2) समूह "ख" (भारतीय औषधि, में डिग्री/चिकित्सा । अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/ समूह "ग" (अभियांत्रिकी/चिकित्सा/ प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र, कला/विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) समूह "घ" (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम दूसरे वर्ष से) (तथा समूह "ङ") (10+2, सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम का पहला वर्ष)	आधा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आय सीमा बढ़ाने का मामला योजना आयोग के साथ उनकी मंजूरी के लिए उठाया गया है ।

प्री-मैट्रिक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

2967. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्री-मैट्रिक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की है ; यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस कारण से कोई विसंगति उत्पन्न हुई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पोस्ट-मैट्रिक की छात्रवृत्ति पूर्ववत है और इससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कम राशि प्राप्त हो रही है ; और